प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 13.07.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक शातिर चोर को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे चोरी किया गया आयसर कैन्टर नं0 UP-17BT-0164 व एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

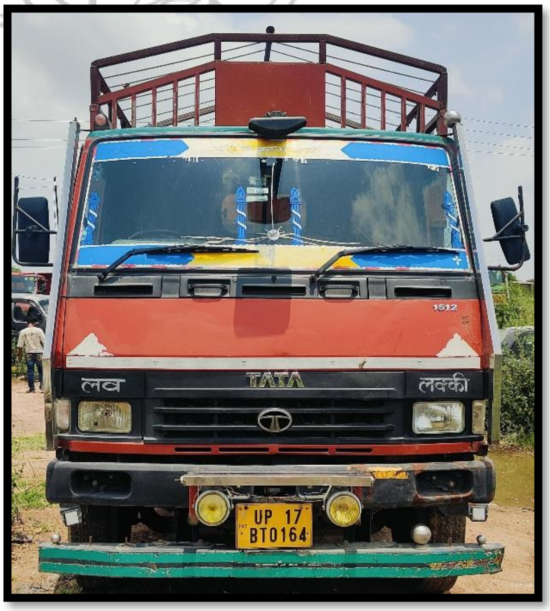

दिनांक 10.07.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि उसका आयसर कैन्टर UP-17BT-0164 उसकी दुकान के पास से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली बागपत पर टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक शातिर चोर को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे चोरी किया गया आयसर कैन्टर नं0 UP-17BT-0164 व एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 393/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 390/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- बिजली घर से अहेड़ा रोड़ की तरफ रास्ते पर टयूबवेल पर।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रितेश पुत्र भरत निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद (घायल)

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया गया आयसर कैन्टर नं0 UP-17BT-0164
- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 71/2021 धारा 394/411/120बी भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 66/2021 धारा 379/411 भादवि थाना थाना खेकडा जनपद बागपत।

3. मु0अ0सं0 72/2021 धारा 307 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 263/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 481/2023 धारा 323/341/352/452/504/506 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 239/2025 धारा 3(5)/309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0 248/2025 धारा 109/3(5)/317(2)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत।
3-उ0नि0 श्री देवेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली बागपत।
4-है0का0 72 विपिन भाटी थाना कोतवाली बागपत।
5-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत।
6-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत।
7-का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत।
8-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत।
9-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत।
10-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
11-है0का0 415 रविन्द्र थाना कोतवाली बागपत।
12-है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 13.07.2025**

थाना खेकडा पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कुल 60 पेटी (48 पेटी बोतल, 10 पेटी अध्धा व 2 पेटी पव्वे) अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 क्रेन नुमा बोलेरो पिकअप बिना नम्बर प्लेट बरामद।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 60 पेटी (48 पेटी बोतल, 10 पेटी अध्धा व 2 पेटी पव्वे) अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 क्रेन नुमा बोलेरो पिकअप बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 218/25 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-संदीप पुत्र रामचरण निवासी ग्राम निजामपुर माजरा थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

2-सतीश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अकबरपुर बरौटा थाना कुण्डली जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 60 पेटी (48 पेटी बोतल, 10 पेटी अध्धा व 2 पेटी पव्वे) अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का।
- तस्करी में प्रयुक्त 01 क्रेन नुमा बोलेरो पिकअप बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 231/16 धारा 1/14/61 पंजाब आबकारी अधिनियम थाना कुण्डली, सोनीपत हरियाणा।

2-मु0अ0सं0 328/16 धारा 279/336 भादवि व 1/14/61 पंजाब आबकारी अधिनियम थाना राई सोनीपत हरियाणा।

3-मु0अ0सं0 303/18 धारा 279/304ए भादवि थाना खरखौदा, सोनीपत हरियाणा।

4-मु0अ0सं0 304/19 धारा 279/337/338/427 भादवि थाना राई, सोनीपत हरियाणा।

गिरफ्तार अभियुक्त सतीश का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 491/18 धारा 148/149/323/452/506 भादवि थाना कुण्डली, सोनीपत हरियाणा।

2-मु0अ0सं0 493/18 धारा 285/307/323/34/506 भादवि व 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डली, सोनीपत हरियाणा।

3-मु0अ0सं0 177/20 धारा 379/411/420/473 भादवि थाना कृष्ण गेट थानेसर, रोहतक हरियाणा।

4-मु0अ0सं0 279/21 धारा 51बी महामारी एक्ट, 188 भादवि व 61 पंजाब आबकारी अधिनियम थाना कुण्डली, सोनीपत हरियाणा।

5-मु0अ0सं0 261/21 धारा 51बी महामरी एक्ट, 188 भादवि व 61 पंजाब आबकारी अधिनियम थाना कुण्डली, सोनीपत हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-उ0नि0 सूर्यदीप सिंह स्वाट टीम प्रभारी जनपद बागपत।
3-उ0नि0 सतीश कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत।
4-मु0आ0 370 इरशाद अहमद स्वाट टीम जनपद बागपत।
5-मु0आ0 469 नरेंद्र नागर स्वाट टीम जनपद बागपत।
6-मु0आ0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत।
7-मु0आ0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत।
8-का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत।
9-का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत।
10-का0 402 विशाल पूनिया स्वाट टीम जनपद बागपत।
11-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत।
12-है0का0 157 प्रेमपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
13-का0 937 शिवम शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक- 13.07.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 199/25 धारा 309(6)/324(4)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 बाल अपचारी के विरूद्ध की कार्यवाही, जिसके कब्जे से लूटा हुआ एक इन्वर्टर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.07.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री जितेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता जगदेव नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वह अपनी मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP-17AA-3667 से बडौत से इन्वर्टर व बैट्रा लेकर सुनील पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत के घर लगाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके सिर में डण्डा मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया व सिर में चोट आ गयी तथा अभियुक्त उसकी मोटरसाइकिल, इन्वर्टर व बैट्रा लेकर भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 199/25 धारा 309(4)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरे/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 199/25 धारा 309(6)/324(4)/317(2) बीएनएस में वाँछित 01 बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसके कब्जे से लूटा हुआ एक इन्वर्टर बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- **उक्त अभियोग में दिनांक 11.07.2025 को थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP-17AA-3667 व घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ था।**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 53/2023 धारा 323/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

बरामदगी का विवरण-

- **लूटा हुआ एक इन्वर्टर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
3-का0 301 मुलायम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 13.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

मुकेश पुत्र वेदू निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-है0का0 138 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-है0का0 361 ललित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक 13.07.2025

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वांरटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र सादा उर्फ शहजाद निवासी कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 123 ज्ञानेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।

3-एचजी 473 लोकेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।